झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड

झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड

मेधा डेरी प्लांट, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के समीप, होटवार, रांची–835217

परिवहन निविदा की मुख्य शर्ते

1. निविदादाता निविदा प्रपत्र की शर्तो को भली–भाँतिपढ़कर एवं समझकर भरेंगे । अगर निविदा संबंधी कोई जानकारी/स्पष्टता प्राप्त करनी है तो मुख्य कार्यालय के फोन न॰ 7544003404 पर संपर्क किया जा सकता है ।
2. निविदा पपत्र दिनाकं 23.02.2018 से अपराह्न 4:00 बजे तक झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड, राँची के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है |
3. मुहरबंद निविदा पपत्र दिनांक 10.03.2018 के अपराह्न 4:00 बजे तक झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड, मेधा डेरी प्लांट, होटवार, राँची के कार्यालय में स्वयं: या कूरियर या निबंधित डाक के माध्यम से जमा कर सकते है |
4. निर्गत निविदा प्रपत्र में भरी गई निविदा ही स्वीकार की जायेगी । भरी गई निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का मुहर के साथ हस्ताक्षर अनिवार्य है
5. निविदा के साथ अग्रधन के राशि 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो "झारखण्ड स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्कप्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड" के नाम होगा तथा राँची में भुगतेय होगा अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा । इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । निविदा में असफल निविदादाता का अग्रधन चेक के द्वारा वापस किया जायेगा ।
6. भरे गये दर में परिवहन संबंधी सभी खर्च एवं सर्विस टैक्स /GST शामिल होंगे । संवेदक द्वारा समर्पित विपत्रों में से नियमानुसार सर्विस टैक्स एवं इनकम टैक्स (TDS) के कटौती के उपरान्त ही भुगतान की जायेगी ।
7. डीजल के मूल्य में कमी / बढ़ोतरी होने पर स्वीकृत दर में समानुपतिक कमी /वृद्धि की जाएगी और जो दोनों पक्षों दुवारा आपसी समझ पर सहमत होगा| डीजल के मूल्य में कम से कम Rs. 5 की वृद्धि /कमी होने पर ही ये शर्ते लागु होंगी |
8. उलेखित गंतव्य से 15 किलो मीटर की अतरिक्त दुरी तक कोई राशी नहीं दी जाएगी
9. सामान परिवहन के दौरान रास्ते में वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में निर्धारित गन्तव्य स्थानों तक परिवहनकर्ता को अपने खर्च पर दूसरे वाहन पर सामान लोड कर भेजने की व्यवस्था अविलम्ब करना होगा, ताकि पशुआहार, मिनरल मिक्सचर एवं अन्य सामाग्री की बर्बादी न हो, एवं ससमय गन्तव्य स्थानों पर आपूर्ति हो पाये |
10. सामान परिवहन के समय, सामग्री भींगे रूप में पाये जाने, गिनती में कम पाये जाने एवं किसी अन्य प्रकार के क्षति के लिये परिवहन संवेदक जिम्मेदार होंगे । उस स्थिति में उनके परिवहन बिल से सममूल्य राशि को कटौती की जायेगी ।
11. सामान परिवहन के दौरान रास्ते में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्च परिवहन कर्ता की जिम्मेदारी होगी ।
12. विशेष परिस्थिति में किसी दिन गाड़ी लोड /अनलोड नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का हर्जाना का दावा मान्य नहीं होगा
13. ट्रक लोडिंग का कार्य पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक ही किया जायेगा ताकि अपराहन 5:30 बजे तक चालान आदि निर्गत किया जा सके ।

14. झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सामग्री ले जाकर निर्धारित गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचाना तथा वहाँ से पावती कराकर चालान /रिसीप्ट JMF ऑफिस में जमा करना होगा।

15. संवेदक जिन्हें कार्य आवंटित होगा उनके द्वारा भेजी गई गाड़ी के चालक, खलासी या किसी अन्य कर्मचारी कारखाना/कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाई जायेगी तो उसकी जिम्मेदारी संवेदक की होगी तथा उसकी भरपाई करनी होगा अथवा उनके परिवहन बिल से कटौती की जायेगी।

16. गाड़ी की माँग JMF द्वारा समय समय पर की जायेगी एवं 1-2 दिन पहले सुचना दे दी जायेगी।यदि परिवहन संवेदक द्वारा गाड़ी माँग की पूर्ति पूर्णत: या अंशत: लगातार 3 दिनों तक नहीं की जाती है, JMF अन्य श्रोत से गाड़ी की व्यवस्था कर सामग्री आपूर्ती करने के लिये पूर्णत: स्वतंत्र होगा। उक्त मद में खर्च हुए अतिरिक्त परिवहन राशि को संवेदक के परिवहन विपत्र से समायोजित/कटौती की जाएगी। किसी प्रकार आपदा, लोकसभा एवंविधान सभा चुनाव की स्थिति में इन शर्तो में ढील दी सकती है, जो पूर्णत: प्रवंधन के अधिकार क्षेत्र में होगा।

17. ट्रक से माल अनलोडिंग परिवहन संवेदक दुवारा /स्तर से ही किया जायेगा इसलिए अनलोडिंग का दर प्रति टन के हिसाब से दर प्रदान करे|

18. यदि कुल गंतव्यों में से एक या अधिक निविदादाता सफल होते है तो वैसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा की वह बाँट कर एक या एक से अधिक निविदादाताओं को परिवहन कार्य दे सकते है।

19. सफल निविदादाता जिन्हें कार्यादेश निर्गत होगा, सात दिनों के अन्दर भुगतान हेतु सारे संबंधित प्रपत्रों को अपने परिवहन बिल के साथ जमा करना होगा, सारे विपत्र के जांचोपरान्त विपत्र का भुगतान चेक/बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

20. सफल निविदादाता को झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के साथ Rs. 100 स्टाम्प पेपर अनुबंध में करना होगा एवं सिक्योरिटी राशि जमा करना होगा, जो वाहन के क्षमता के आधार पर तय किया जायेगा।

21. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राँची होगा।

22. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को किसी भी स्टेज में रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को सुरक्षित रहेगा।

निविदा की सभी शर्त स्वीकार एवं मान्य है।

दिनाकं:

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड
मेधा डेरी प्लांट, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के समीप, होटवार, रांची–835217

परिवहन हेतु निविदा पपत्र

पासपोर्ट साइज़ फोटो का स्पेस

1. आवेदक का नाम ....
2. आवेदक की स्थिति : व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी ....
3. आवेदक का स्थायी पता
....
....
....
....
4. आवेदक का पत्राचार का पता ....
....
(प्रमाणक का छायाप्रति संलग्न करें) : ....
....
....
5. आवेदक के अधिकृत व्यक्ति का मोबाइल नम्बर
....
6. आवेदक का पैन कार्ड संख्या ....
7. GST संख्या ....
8. परिवहन हेतु गाडियों की संख्या

स्वंय गाड़ियों की संख्या				लीज/अनुबंध पर ली गयी गाड़ियों की संख्या			
9 टन	16 टन	20 टन	24 टन	9 टन	16 टन	20 टन	24 टन

9. आवेदक की वित्तीय स्थिति:

वित्तीय वर्ष	कारोबार (रु० लाख में)
2016-17	
2017-18	

(क) सत्यापित करता हूँ की मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी सत्य है। दी गयी जानकारी या उसके किसी अंश के किसी भी स्तर पर गलत पाये जाने पर मेरी निविदा झारखण्ड मिल्क फेडरेशन रद्द करने के लिये स्वतंत्र है।

(ख) निविदा की सभी शर्त स्वीकार्य एवं मान्य है।

दिनाकं :

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड

मेधा डेरी प्लांट, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के समीप, होटवार, रांची–835217

राँची से वैसे स्थानों/गंतव्यों की सूची जहाँ के लिये परिवहन दर आमंत्रित है

क्रमांक	स्थानों/ गंतव्यों का नाम	प्रस्तावित भाड़ा **(Lump sum)**				प्रस्तावित भाड़ा **(per MT)**
	Vehicle Capacity	**9/10 MT**	**16 MT**	**20 MT**	**24 MT**	
1	Bokaro					
2	Chatra					
3	Chatra (Huntergunj)					
4	Chatra (Itkhori)					
5	Deoghar (Madhupur)					
6	Deoghar (Sarath)					
7	Dhanbad (Govindpur)					
8	Dumka (Mahro)					
9	Dumka (Jhakia)					
10	Dumka (Hansdiha)					
11	East Singhbhum (Karandih)					
12	Garhwa					
13	Garhwa (Marwania)					
14	Giridih (Ajidih)					
15	Godda (Nirharasram)					
16	Gumla					
17	Hazaribagh (SindurChawk)					
18	Hazaribagh (Goria Karma)					

19	Hazaribagh (Barkagaon)					
20	Jamtara					
21	Khunti					
22	Koderma (Pathadiha)					
23	Latehar (Chandwa/Balumath)					
24	Latehar (City)					
25	Lohardaga					
26	Pakur					
27	Palamu (Daltangunj)					
28	Palamu (Japla/heidernagar)					
29	Palamu (Kadwan)					
30	Ramgarh					
31	Sahebgunj					
32	Saraikela					
33	Simdega					
35	West Singhbhum/Chaibasa					
36	Inside Ranchi city (राँची के अन्दर)					
37	राँची जिला के मंडर, चान्हों, बेडो, ठाकुरगांव के गाँव तक					

दिनाकं:

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)